राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सीकर

क्रमांक :– रसद / 2016 / 26 दिनांक 5-1-2016

श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
जयपुर

विषयः– विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति डालने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के अन्तर्गत एमडीएम पोषाहार वितरण के लिये टेण्डर किये जा रहे है। संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रेषित है। कृपया विभाग की वेबसाईट पर इन्हें अपलोड करने का श्रम करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 14 पेज

FA
8.1.16

12.1.2016

Computor / Programmer.

जिला रसद अधिकारी
सीकर

दूरभाष नं. 01572–270417 NIB. NO 21 (30667 LD)

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सीकर

कमांक :– एफ/एमडीएम/लेखा/2016/ 21 दिनांक 04.01.2016

खुली प्रतियोगिता बोली आमंत्रण सूचना संख्या–2/2015–16

मिड–डे मिल योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो, सीकर के गोदामो से जिले की कय विकय सहकारी समिति, सीकर (कार्यक्षेत्र पंचायत समिति पिपराली)/नीमकाथाना (कार्यक्षेत्र पंचायत समिति–नीमकाथाना)/श्रीमाधोपुर (कार्यक्षेत्र पंचायत समिति खण्डेला एवं श्रीमाधोपुर) समितियो के गोदामो तक एवं समिति के गोदामो से संबंधित कय विकय सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय/संस्कृत पाठशाला/सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी जिनमें कक्षा 1 से 8 चलती हो/मदरसा (जहां सरकारी पैराटीचर नियुक्त व शाला प्रबंध समिति गठित हो)निर्देशानुसार विद्यालयो तक निर्धारित रूट चार्ट आदि के अनुसार गेहूँ/चावल पोषाहार के परिवहन लोडिंग/मय तुलाई हेतु पंजीकृत ठेकेदारो/संस्था/वाहन मालिको से पंचायत समिति पिपराली/श्रीमाधोपुर/खण्डेला/नीमकाथाना हेतु शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिये मोहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है:–

क. स.	कय विकय सहकारी समिति का नाम जिसके नाम से प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है	कय विकय सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र	बोली की अनुमानित वार्षिक लागत	बोली शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत
1	सीकर कय विकय सह. समिति लि. सीकर	पं.स. पिपराली	201000	400	4020
2	श्रीमाधोपुर कय विकय सह. समिति लि. श्रीमाधोपुर	पं.स. श्रीमाधोपुर	231000	400	4620
3	श्रीमाधोपुर कय विकय सह. समिति लि. श्रीमाधोपुर	प.स.खण्डेला	254000	400	5080
4	नीमकाथाना कय विकय सह. समिति लि. नीमकाथाना	पं.स. नीमकाथाना	370000	400	7400

प्रतिभूति राशि व कार्य निष्पादन राशि के अतिरिक्त सफल बोलीदाताओ को बैंक गारण्टी 2.00 लाख रू. की संबंधित कय विकय सहकारी समिति के नाम से प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी बोली को स्वीकृत करने एवं बोली के किसी भाग को अथवा बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार बोली समिति के पास सुरक्षित रहेगा। बोली का विकय दिनांक 18.01.2016 से 09.02.2016 तक कार्यालय समय में किया जायेगा तथा बोली दिनांक 10.02.2016 को समय 1:00 पीएम तक जमा की जायेगी एवं इसी दिनांक को 2:00 पीएम पर उपस्थित बोलीदाताओ के समक्ष खोली जावेगी। बोली प्रपत्र डाउनलोड करने पर बोली शुल्क की राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, बोली की शर्त संख्या 33 के अनुसार तकनीकी बोली के साथ जमा करवाना अनिवार्य है। बोली शर्तो का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। निश्चित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली तथा बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली को स्वीकार नही किया जायेगा।

सदस्य सचिव एवं जिला रसद अधिकारी
सीकर

कमांक :– एफ/एमडीएम/लेखा/2016/ 21 दिनांक 04.01.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को 6 अतिरिक्त प्रति भेजकर निवेदन है कि एक राज्य स्तर के दैनिक पत्र एवं एक क्षेत्रीय स्तर के देनिक पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करावे। डीपीआईआर की वेबसाईट पर एवं किसी ट्रेड जनरल में जिसमें बोली की सूचना छपती हो में भी प्रकाशित करावे।
2. श्रीमान शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार एवं नोडल अधिकारी (पोषाहार) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर
4. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा मनोनित कलक्टर के प्रतिनिधि है।
5. सहवृत सदस्य कोषाधिकारी सीकर
6. जिला परिवहन अधिकारी (सदस्य) सीकर को भेजकर निवेदन है कि बोली की निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर बोली की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
7. उपरजिस्ट्रार (सदस्य) सहकारी समितियां सीकर को भेजकर निवेदन है कि निविदा की निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर बोली की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
8. मुख्य व्यवस्थापक (सदस्य) कय विकय सहकारी समिति दांतारामगढ/सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर को भेजकर निवेदन है कि बोली की निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर बोली की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
9. क्षैत्रीय कार्यालय राजफैड (सदस्य) शीतनगर भवन, प्रथम तल 4, भवानी सिंह रोड, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि बोली की निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर बोली की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
10. जिला प्रभारी अधिकारी (सदस्य) मिड–डे मिल कार्यकम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को भेजकर निवेदन है कि बोली की निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर बोली की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
11. कैशियर कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि बोली प्रपत्र करने एवं वापस करने से संबंधित कार्यवाही करे।

सदस्य सचिव एवं जिला रसद अधिकारी सीकर

नोटः— बोलीदाता प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं के हस्ताक्षर करें

परिशिष्ट— ब

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) सीकर

बोली सूचना संख्या 21 की शर्ते वर्ष 2015–16

राष्ट्रीय पोषाहार योजना से संबंधित खाद्य सामग्री (गेहूँ/चावल) के परिवहन हेतु बोली की शर्ते :— बोलीदाताओ को इन शर्तो का सावधानीपूर्व पढ़ना चाहिये तथा अपने बोली प्रपत्र प्रस्तुत करते समय इनकी समुचित पालना करनी चाहिये।

1. पंचायत समिति/ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के अधीन ग्रामीण एवं शहरी समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय/संस्कृत पाठशाला/सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी जिनमें कक्षा 1 से 8 चलती हो/मदरसा (जहॉं सरकारी पैराटीचर नियुक्त हो व शाला प्रबंध समिति गठित हो) में राष्ट्रीय पोषाहार योजना (मिड–डे–मील) के अंतर्गत आवंटित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जायेगा।
2. बोली की कार्यकाल अवधि दिनांक 15.05.2016 तक वैध होगी तथा आपसी समझौते से बोली की अवधि 3 माह तक और बढाई जा सकेगी।
3. बोली प्रारूप स्याही/टंकण से भरा जायेगा, पेंसिल से भरे प्रारूप पर विचार नहीं किया जावेगा। बोली पत्र को मोहरबंद लिफाफे में पूर्ण रूप से भर कर भिजवाया जावेगा। बोली के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पोषाहार परिवहन बोली मय पंचायत समिति अंकित किया जावे।
4. बोली में परिवहन की दरे शब्दों एवं अंको में, दोनों में अंकित की जावे। यदि दोनों में अन्तर हुआ तो अंको में लिखी दर को अन्तिम दर माना जावेगा। दरे सम्पूर्ण कार्य की प्रति क्विंटल में दी जावेगी।
5. बोली खोलने के पश्चात् बोली की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. सशर्त बोलियॉं मान्य नहीं होगी तथा वह स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
7. ठेकेदार अपने ठेके/संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को अन्य व्यक्ति अथवा एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सबलेट) पर नहीं देगा।
8. परिवहनकर्ता/ठेकेदार के स्वयं के नाम से कम से कम 9 मैट्रिक टन के दो ट्रक पंजीकृत होने चाहिए जिसके प्रमाणीकरण हेतु बोली के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी अन्यथा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. प्रत्येक माह में पोषाहार के गेहूँ/चावल की मात्रा लगभग क्विं निर्धारित है, जिसमें कमी/वढोतरी भी हो सकती है। पोषाहार की निर्धारित मात्रा को प्रतिमाह भारतीय खाद्य निगम के डिपों सीकर से अथवा जिले के अन्य डिपों से उठाकर पंचायत समिति/ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थित प्रत्येक पाठशाला तक डोर–स्टेप डिलीवरी के तहत पहुॅंचाना होगा, सुपुर्दगी की रसीद संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या इन्चार्ज के तीन प्रतियों में प्राप्त करनी होगी। एक रसीद को तुरन्त ही जिला रसद अधिकारी को और दूसरी प्रति संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी/खण्डीय नॉडल अधिकारी को दी जायेगी, जिसमें से एक प्रति खण्डीय नॉडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में भिजवाई जावेगी। रसीद की एक प्रति ठेकेदार द्वारा भुगतान के लिए, बिल प्रेषित करते समय बिल के साथ संलग्न की जावेगी।
10. परिवहनकर्ता/ठेकेदार भारतीय खाद्य निगम डिपों से जिस स्थिति में खाद्यान्न उठायेगा उस स्थिति में बोरियों पर मिड–डे–मील कार्यक्रम की छाप लगाकर आवंटन अनुसार खाद्यान्न विद्यालयों में पहुंचायेगा तथा परिवहन एवं भण्डारण के दौरान किसी भी स्तर पर कोई छीजत देय नहीं होगी।
11. यदि परिवहन के दौरान कहीं पर भी रास्ते में वाहन खराब हो जाता है एवं खाद्यान्न अन्य किसी वाहन में शिफ्ट करने की आवश्यता पड़ती है तो ऐसा करने से पूर्व ठेकेदार को इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी को देनी होगी तथा जिला रसद अधिकारी की अनुमति से ही शिफ्टिंग का कार्य किया जावेगा।
12. परिवहन के दौरान पोषाहार की सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा एवं उस पर होने वाले व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

जिला रसद अधिकारी, सीकर

13. ठेकेदार का कार्य आदेश जारी करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के अन्दर डोर–स्टेप डिलीवरी के प्रावधान अनुसार खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया तो संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति को यह अधिकार होगा कि वह परिवहन कार्य किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति/एजेन्सी के माध्यम से करवा सकेगी एवं इसकी हानि की वसूली ठेकेदार से जमा सिक्यूरिटी राशि में से की जावेगी।
14. परिवहनकर्ता को आवंटित मात्रा में खाद्यान्न विद्यालयों में सुपुर्दगी करने हेतु अपने साथ एक प्रमाणित कांटा–बाट ले जाना आवश्यक होगा ताकि प्रत्येक विद्यालय में उसको आवंटित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न तौल कर दिया जा सके। इसके अतिरिक्त छाप, रंग व सिलाई हेतु सूआ सूतली (आवश्यकता होने पर कटी बोरियों की सिलाई हेतु) ठेकेदार को अपने खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी।
15. भारतीय खाद्य निगम के डिपों से विद्यालय तक का सड़क मार्ग कच्चा/पक्का होगा।
16. असफल बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि बोलीओं का सफल निष्पादन होने के तत्काल पश्चात् लौटाई जा सकेगी।
17. बोलीदाता को बोली पत्र के हर पृष्ठ के अन्त में बोली तथा अनुबंध की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के प्रमाण पत्र स्वरूप हस्ताक्षर करने होगें।
18. यदि समिति/जिला कलक्टर (रसद) को परिवहन कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो अनुबंध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार के रिस्क एवं कोस्ट पर परिवहन कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार एजेन्सी से करवाया जावेगा तथा इस कार्य हेतु यदि समिति को अधिक भुगतान करना पड़ता है तो वह ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि/बिल में से समायोजित किया जावेगा।
19. निर्धारित अवधि में परिवहन कार्य आदेश प्राप्ति के सात दिन की अवधि में करना होगा। पूर्ण नहीं करने पर निर्धारित अवधि के बाद किये गए कार्य पर निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो के नियम 58 के अन्तर्गत वसूल की जावेगी :–

    (अ) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि तक के लिये — 2.50 प्रतिशत

    (ब) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिये — 5.00 प्रतिशत

    (स) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिये — 7.50 प्रतिशत

    (द) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिये — 10.00 प्रतिशतकी
20. अनुबंध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि पर जो भी व्यय होगा वह ठेकेदार को वहन करना होगा।
21. बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला कलक्टर (रसद) को होगा।
22. परिवहन चार्जेज का भुगतान ठेकेदार को बिल प्रस्तुत करने पर संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा टी.डी.एस. की कटौती करते हुए किया जावेगा। परन्तु भुगतान माल प्राप्ति के मिलाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। सर्विस टैक्स की राशि ठेकेदार द्वारा जमा कराई जावेगी।
23. परिवहन कार्य में अथवा इससे संबंधित कार्य विशेष के लिये ठेकेदार के नियुक्ति कर्मचारी (ड्राईवर/खलासी) का दायित्व विभिन्न औद्योगिक एवं श्रम नियमों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से ठेकेदार का होगा।
24. परिवहनकर्ता/ठेकेदार द्वारा अपने वाहन के मोटर व्हीकल कानून के अन्तर्गत समस्त अपेक्षित कागजात अपने स्तर पर एवं अपने खर्च पर रखने होगे। वाहन के चालान एवं अन्य किसी भी पेनल्टी की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी।
25. ठेकेदार के कर्मचारियों (ड्राईवर/खलासी) द्वारा राजकीय कर्मचारियों से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस स्थिति में जिला रसद अधिकारी को ठेकेदार को निर्देशित करने का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति को नौकरी से हटाने संबंधित कार्यवाही करे।

जिला रसद अधिकारी, सीकर

26. जिला रसद अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो वह अपने कर्मचारी/प्रतिनिधियों को वाहन के साथ भेज सकती है, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
27. पोषाहार परिवहन के दौरान खाद्यान्न की चोरी अथवा अवैध कार्य करते पाये जाने की स्थिति में ठेकेदार से उसकी मूल कीमत की दुगुनी राशि की वसूली उसके द्वारा प्रेषित परिवहन बिल/उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से की जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक आपराधिक कानूनी कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त उसकी जमा कार्य निष्पादन राशि भी जब्त कर ली जावेगी।
28. भारतीय खाद्य निगम के डिपों से खाद्यान्न उठाने एवं विद्यालयों तक पहुंचाने के दौरान यदि खाद्यान्न के वजन में कमी होती है अथवा खाद्यान्न की गुणवता में कमी होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं क्षतिपूर्ति की समस्त राशि की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रेषित बिलों में से की जावेगी।
29. यदि कार्य को सम्पादित करने में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जिला कलक्टर (रसद) की अध्यक्षता में गठित कमेटी के निर्णय के आधार पर किया जावेगा जो दोनों पक्षों (समिति/ठेकेदार) को मान्य होगा।
30. भारत सरकार /किसी भी राज्य सरकार/किसी भी राजकीय उपक्रम द्वारा बोलीदाता अथवा फर्म है तो कोई भी सदस्य ब्लेकलिस्टेड/विवर्जित घोषित नहीं हों। भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा बोलीदाता अथवा फर्म है तो कोई भी सदस्य के विरूद्ध गबन/घोटाले का प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज नहीं हो। इस आशय का प्रमाण पत्र 10 रू के शपथ पत्र पर बोली फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
31. (1) बोली प्रतिभूति/कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि का विवरणः– बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट/नकद संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति के नाम से मोहरबन्द बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(2) कार्य निष्पादन बोली लागत का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा जिससे प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जा सकेगा ।

क्र. सं.	क्रय–विक्रय सहकारी समिति का नाम जिसके नाम से प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है	क्रय–विक्रय समिति का कार्य क्षेत्र	बोली की अनुमानित वार्षिक लागत	बोली शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत
1	सीकर क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. सीकर	पं.स. पिपराली	100500	400	2010
2	श्रीमाधोपुर, क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. श्रीमाधोपुर,	पं.स. श्रीमाधोपुर	115500	400	2310
3	श्रीमाधोपुर,, क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. श्रीमाधोपुर,	पं.स. खण्डेला	127000	400	2540
4	नीमकाथाना, क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. नीमकाथाना	पं.स. नीमकाथाना	185000	400	3700
	योग		528000		10560

(3) प्रतिभूति राशि व कार्य निष्पादन के अतिरिक्त सफल बोलीदाता को 2 लाख रूपयें की बैंक गारण्टी संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति के नाम से प्रस्तुत करनी होगी।
32. (1) बोली प्रतिभूति राज्य सरकार के लघु उद्योगों की दशा में 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति होगी तथा लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित हैं, 1 प्रतिशत बोली प्रतिभूति होगी। उक्त के अतिरिक्त 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(2) बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों के और राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन या नियंत्रित या प्रतिबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रकृत सोसायटियों, सरकारी सोसायटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
33. बोली दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड करनें पर बोली प्रपत्र शुल्क 400 रू. का डीडी जिला रसद अधिकारी सीकर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

जिला रसद अधिकारी, सीकर

34. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम–2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमो के प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार लागू होंगे ।

35. विलम्ब से प्राप्त बोलियों को "विलम्ब से प्राप्त" बोलियों के रूप में चिन्हित और घोषित किया जायेगा, बिना खोले ही रजिस्ट्रकृत डाक द्वारा बोली लगाने वालों को लौटा दिया जायेगा।

36. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने के सात दिन की अवधि के भीतर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो के आर.एस.आर प्रारूप 17 में विनिर्दिष्ट मूल्य का नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। जिसका व्यय ठेकेदार द्वारा वहन करना होगा।

37. एक बोलीदाता को अधिकतम जिले की दो पंचायत समितियों में पोषाहार परिवहन के लिये बोली फॉर्म अलग–अलग विक्रय किया जायेगा। दो पंचायत समितियों से अधिक के लिये परिवहन कार्य प्रतिवन्धित रहेगा।

38. अनुसूची बी से संबंधित बोलीदाता की घोषणा तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।

39. Annexure ABCD : Grievance Redressal during Procurement Process
   (i) The designation and address of the First Applellate Authority is Collector (Supply) Sikar ....
   (ii) The designation and address of the Second Applellate Authority is Additional Food Secretary, Food, Civil Supply Consumers Affairs, Jaipur ....

40. तकनीकी बोली के साथ दस्तावेज जो संलग्न करनें हैं:–
(1) वाहन से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेज– आरसी, बीमा, कर चुकता प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र।
(2) अनुसूची बी का घोषणा पत्र
(3) बोली प्रतिभूति से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट
(4) निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य
(5) बोली प्रपत्र शुल्क

बोलीदाता के हस्ताक्षर

जिला रसद अधिकारी, सीकर

6

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

   (1) अपीलार्थी का नाम :

   (2) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

   (3) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

   (1)

   (2)

   (3)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया हैं, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित हैं :–

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता हैं तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

   ....

   ....

   ....

   .... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

जिला ... अधिकारी, सीकर

नोटः– तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को अलग–अलग लिफाफे में डाले तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर बोली प्रस्तुत करें।

फोटोमय बोलीदाता के हस्ताक्षर

' तकनीकी बोली ' लिफाफे पर लिखे

बोली सूचना सं. 21 /2015–16 **बोली फार्म मूल्य 400 /–**

जमा कराने की अंतिम तिथि 10.02.2016 समय **1.00** पीएम

विक्रय की अंतिम तिथि (कार्यालय समय) 9.02.2016 खोलने की तिथि 10.2.2016 समय 2.00 पीएम

मैसर्स .... के पक्ष में बोली फार्म जारी किया गया।

रसीद सं. जीए 55 .... दिनांक ....

जिला रसद अधिकारी
सीकर

उपापन संस्था का नाम :– *कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सीकर*

मुख्य व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. .... जिला सीकर के अधीन पोषाहार परिवहन के लिये बोली प्रपत्र

पंचायत समिति / .... क्षेत्र के विद्यालयों हेतु

बोली प्रस्तुतकर्ता का विवरण :–

1. अ. यदि बोलीदाता एकाकी स्वामी (सोल प्रोपराईटर) है .... तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित) ....
   ब. यदि बोलीदाता संयुक्त हिन्दु परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम ....
2. यदि बोलीदाता भागीदारी संस्था (पार्टनरशिप फार्म) है तो :–
   अ. फर्म का पूरा नाम ....
   ब. फर्म का कारोबार का स्थान ....
   स. फर्म का कार्यालय का पता ....
   द. रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम ....
   य. भागीदारों के नाम पते व उनकी अंश मात्रा (एक्सटेन्ट ऑफ शेयर) सहित :– (भागीदारी के दस्तावेज, पार्टनरशिप डीड की फोटो स्टेट सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. यदि बोलीदाता सहकारी संस्था/कम्पनी है तो सहकारी संस्था कम्पनी के संचालक मण्डल के संचालकों या प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि तथा इस कार्य को करने के अधिकार हेतु इस समिति के प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जावे)
4. पूर्ण पता मय कार्यालय व निवास के टेलिफोन/फैक्स नम्बर (कोड सहित) ....
5. बोली प्रतिभूति राशि राशि (संलग्न डी.डी./बैंकर्स चैक) डी डी नं. .... दिनांक .... राशि ...
   अदाकर्ता बैंक का नाम...
6. परिवहन के कार्य में उपयोग होने वाले वाहन/वाहनों का विवरण :–

क्र. सं.	वाहन की किस्म	वाहन का रजिस्ट्रेशन नं.	मैक/वर्ष	क्षमता (मैट्रिक टन में)	वाहन स्वामी का नाम पूर्ण पता

7. इस बोली में अंकित दरे दिनांक 15.05.2016 तक की अवधि के लिए मान्य है।
   (1) आर सी, संख्या :– ....
   (2) वाहन बीमा प्रमाण पत्र संख्या :– ....
   (3) कर चुकता प्रमाण पत्र विवरण :– ....
   (4) फिटनेश प्रमाण पत्रः– ....
   (5) अनुसूचि बी का घोषणा पत्रः–..................................
8. भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार, किसी भी राजकीय उपकम द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित नहीं होने एवं भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार, किसी भी राजकीय उपकम के किसी भी विभाग द्वारा गबन अथवा घोटाले का प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज नहीं होने का प्रमाण पत्र 10 रू के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

मै/हम जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा जारी की गई खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना संख्या . /2015–16 में वर्णि सभी शर्तो से एवं अन्य शर्ते जो अनेक्जर ए,बी,सी एवं डी संलग्न की गई है(इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।) से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोली प्रस्तुतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम
मय दिनांक

जिला रसद अधिकारी, सीकर

नोटः– तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को अलग–अलग लिफाफे में डाले तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर बोली प्रस्तुत करें।

' वित्तीय बोली ' लिफाफे पर लिखे

बोली सूचना सं. 21 /2015–16
जमा कराने की अंतिम तिथि 10.02.2016 समय 1.00 पीएम
विक्रय की अंतिम तिथि (कार्यालय समय) 09.02.2016
खोलने की तिथि 10.02.2016 समय 2.00 पीएम

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सीकर

मुख्य व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. .... जिला सीकर के अधीन पोषाहार परिवहन के लिये बोली प्रपत्र पंचायत समिति/.. क्षेत्र के विद्यालयों हेतु

बोली प्रस्तुतकर्ता का विवरण :–

1. अ. यदि बोलीदाता एकाकी स्वामी (सोल प्रोपराईटर) है .... तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित) ....
   ब. यदि बोलीदाता संयुक्त हिन्दु परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम ....
2. यदि बोलीदाता भागीदारी संस्था (पार्टनरशिप फार्म) है तो :–
   अ. फर्म का पूरा नाम ....
   ब. रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम ....
   स. भागीदारों के नाम पते व उनकी अंश मात्रा (एक्सटेन्ट ऑफ शेयर) सहित :– (भागीदारी के दस्तावेज, पार्टनरशिप डीड की फोटो स्टेट सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. यदि बोलीदाता सहकारी संस्था/कम्पनी है तो सहकारी संस्था कम्पनी के संचालक मण्डल के संचालकों या प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि तथा इस कार्य को करने के अधिकार हेतु इस समिति के प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जावे)
4. पूर्ण पता मय कार्यालय व निवास के टेलिफोन/फैक्स नम्बर (कोड सहित) ....
5. बोली की शर्तो के अधीन बोली परिवहन कार्य के लिये हमारी दर लोडिंग/अनलोडिंग सहित निम्न प्रकार हैः–

भारतीय खाद्य निगम डिपों का नाम जहां से उठाव किया जायेगा	दर अंकों में	दर शब्दों में
सीकर		

ओवरराईटिंग/काट–छांट पर लघुहस्ताक्षर करें।

6. मैं/फर्म .... के नाम से .... (स्थान) पर (कारोबार का नाम) ....का कारोबार करता हूँ/करते है। मेरा/हमारा इससे संबंधित कार्यालय वर्तमान में पता .... पर स्थित है।
   5. मैं/हम/हमारी संस्था/फर्म में ....का मालिका/ पार्टनर / कर्ता हूँ है।
   6. इस बोली में अंकित दरे दिनांक 15.05.2016 तक की अवधि के लिए मान्य है।

मै/हम जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा जारी की गई खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना संख्या /2015–16 में वर्णि सभी शर्तो से एवं अन्य शर्ते जो अनेक्जर ए.बी.सी एवं डी संलग्न की गई है(इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।) से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोली प्रस्तुतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम
मय दिनांक

जिला रसद अधिकारी, सीकर

मोबाईल नं. :–

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

9

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collustion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigatrion or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsiblilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parites in a bidding process if, including but not limited to:
   a. Have controlling partners/shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

जिला रसद अधिकारी, सीकर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualication

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... In response to their Notice Inviting Bids No .... dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivaership, bankrupt or being wound up, not have my/our affarirs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of Interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

जिला रसद अधिकारी, सीकर

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Collector (Supply) Sikar

The designation and address of the Second Appellate Authority is Addiotional Food Secretary, Food, Civil Supply Consumer Affairs Jaipur

(1) Filing an appeal

if any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings :

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of whthin thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed whthin the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of ther order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination fo need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with has many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Applellate Authority or Second Applellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

जिला रसद अधिकारी, सीकर

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-fefundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date or hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(a) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(a) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relavant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(b) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First/Second Appellage Authority)

1. Particulars of appellant :
   (iv) Name of the appellant :
   (v) Official address, if any :
   (vi) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s) :
   (iv)
   (v)
   (vi)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. .... Grounds .... of .... Appeal:
   ....
   ....
   .... (Suported by an affidavit)
7. Prayers :
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

जिला रसद अधिकारी, सीकर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quanity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quanity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and ahall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quanity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

जिला रसद अधिकारी, सीकर